संशोधन आदेश

संख्या- 27 /2018 / 667 /चार-2018 -14 (बजट)/ 2017

प्रेषक,

लुटावन राम
उप सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 14 मार्च, 2017

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर के सुदृीकरण के अन्तर्गत परिसर की लैण्ड स्केपिंग एवं पार्क के विकास व समुचित प्रकाश व्यवस्था के कार्यो हेतु प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1405/उ0प्र0सं0नि0-8(38)/2016-17-11 दिनांक 08 मार्च , 2018 तथा शासनादेश संख्या-22/2018/220/चार-2018-14(बजट)/2017 दिनांक 28 फरवरी, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या-22/2018/220/चार-2018-14(बजट)/2017 दिनांक 28 फरवरी, 2018 के पृष्ठांकन के क्रमांक-2 में उल्लिखित अंश '' प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, इकाई-गोरखपुर है'' के स्थान पर ''परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, निर्माण इकाई, गोरखपुर '' पढा जाय।

3- शासनादेश संख्या-22/2018/220/चार-2018-14(बजट)/2017 दिनांक 28 फरवरी, 2018 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(लुटावन राम)
उप सचिव

संख्या- 27 /2018/ 667 /चार-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, ग्लोबल कान्सट्रक्शन एण्ड कन्सलटेन्सी सेल, , उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी, काम्पलेक्स , इन्दिरा नगर, लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, इकाई-गोरखपुर
4- वित्त नियंत्रयक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- ''परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, निर्माण इकाई, गोरखपुर
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4,
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लुटावन राम)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/